न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56/2025 बउनवानी नादान सिंह **बनाम** लोक सूचना अधि0 एवं उपजिला कलेक्टर बौंली
निवासी 112,ग्राम व प्रोस्ट गोतोड तहसील बौंली

GCMS No-2025/ 163 **Appeal Number- 321458547595956**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.व अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
30.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर"आवेदक कमांक NFSA00429406 *को* NSS *जुडवाने के संबंध में "उपजिला कलेक्टर बौंली* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक/सूआ/2024/1788 दिनांक 30.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2025 मे चाही गयी सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली से है जिसके संबंध मे विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली के पत्रांक 4783–87 दिनांक 29.7.2025 से तहसीलदार मित्रपुरा को लिखते हुए प्रार्थी को भी अवगत करवाया जा चुका है कि आवेदक के पास समावेशन श्रेणी से संबंधित दस्तावेज नही होने की स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.6.2025 को वांपिस प्रार्थी को लोटाया जाकर समावेशन श्रेणी के दस्तावेज अपलोड करने भिजवाया दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार दस्तावेज अपलोड कर आवेदन संशोधन करने के उपरान्त विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त ही उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा लेवल–2 स्तर से सत्यापित किया जा सकेगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली से है जिसके संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कानां राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner